न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 144/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
मूलसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपुरोहित निवासी मांडल तहसील रानी जिला पाली		1. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत मांडल, तहसील रानी जिला पाली 2. प्रकाशसिंह पुत्र वालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मांडल तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 09.04.2018

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 04/2009–2010, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.08.2009 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4 ग्राम पचांयत मांडल द्वारा जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी मूलसिंह का एक रहवासीय मकान आबादी भूमी में ग्राम मांडल, पंचायत मांडल में आया हुआ है। जिसका पट्टा उसके पिता प्रभुसिंह पुत्र भोमसिंह के नाम पट्टा संख्या 52 मिसल संख्या 14/1970–71 तथा दिनांक 10.04.1971 को ग्राम पंचायत मांडल द्वारा जारी किया गया हे। उक्त मकान में प्रार्थी व उसका परिवार करीब 50–60 वर्षो से निवासरत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलावट कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों को ताक में रखते हुए तथा सरपंच द्वारा अपने पद का दुरपयोग करते हुए उक्त मकान का पट्टा संख्या 4 मिसल संख्या 04/2009–10 कायम कर दिनांक 04.12.2009 को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 10.04.1971 की भूमी पर पश्चातवर्ती पट्टा जारी कर दिया जो काबिल निरस्त है। इस संबंध में प्रार्थी को जानकारी होने पर उसने एक मुकदमा थाना गुड़ा एन्दला में दर्ज करवाया तथा उक्त फर्जी पट्टे के संबंध में पंचायत समिति में शिकायत पेश की जिसकी जांच रिपोर्ट में जैर निगरानी पट्टे को फर्जी माना गया है जो अप्रार्थीगण द्वारा किए गए फर्जीवाडे की तस्दीक करता है। पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किया हुआ है, लेकिन बाद में उसमें काट छांट कर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम फर्जीवाड़ा करते हुए जोडा गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पड़ौसियों से कोई जॉच पड़ताल नहीं की गई। मिसल में संलग्न गवाहो के बयान में उनके नाम पते नहीं भरे गये है तथा पंचायत द्वारा जारी आपति इश्तिहार कहां चस्पा किया गया है यह उसके पृष्ट भाग पर अंकित नहीं है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने की कार्यवाही करते समय राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 में उल्लेखित नियमों की पालना नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मकान के कब्जासुदा होने बाबत उल्लेख किया है। जबकि पंचायत मिसल की आदेशिका दिनांक 26.05.2009 में पुश्तैनी मकान होने का उल्लेख किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा उसका अपना मकान होने बाबत विद्युत बिल की प्रति पेश की गई है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी मकान अप्रार्थी मूलसिंह का पुश्तैनी नहीं हो सकता। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 6193/2013 में भी उनके द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया

क्रमशः:2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गया है। अप्रार्थी द्वारा संपादित इकरारनामे में जैर निगरानी मकान को 1 लाख 25 हजार रूपये में खरीद किया जाना जाहिर किया है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रकाशसिंह का जैर निगरानी मकान पुश्तैनी नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि उक्त मकान उसके पिता का पुश्तैनी मकान है एवं प्रभुसिंह को रहने के लिए दिया गया था। जिसने धोखे से पट्टा बना लिया एवं प्रार्थी जैर निगरानी मकान को हड़पना चाहता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मिसल कायम कर अग्रिम कार्यवाही की गई जिसकी आदेशिका दिनांक 26.05.2009 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को नक्शा बनाने हेतु आदेश दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूमी का नक्शा बनाकर पेश करने पर आदेशिका दिनांक 05.06.2009 के द्वारा तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया एवं उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर नियमानुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर मिसल में प्रस्तुत की जिसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 06.07.2009 में है। उसके पश्चात ही प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.08.2009 पारित कर सर्वसम्मति से पट्टा जारी करने बाबत निर्णय लिया गया। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत 200/– रूपये में जारी किया जो विधी सम्मत होने से यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। जैर निगरानी मकान के पुश्तैनी होने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपनी मिसल में दर्ज आदेशिका 26.05.2009 में अंकन किया है, जबकि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहीं भी मकान के पुश्तैनी होने का अंकन नहीं हैं एवं प्रार्थी के पिता के जीवित रहते कब्जासुद पुश्तैनी मकान का पट्टा पुत्र के नाम बनाया जाना विधी सम्मत नहीं हैं क्योंकि ऐसे मकान में पिता की अन्य संतानों का भी हक अधिकार होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे से संबंधित प्रस्ताव रजिस्टर प्राप्त नही होने से सम्पूर्ण कार्यवाही बिना प्रस्ताव के किया जाना प्रतीत होती है। पूर्व में जैर निगरानी भूमि पर जरिये मिसल संख्या 14/1970–71 एवं प्रस्ताव संख्या 10.04.1971 के पट्टा संख्या 52 प्रभुसिंह वल्द भोमाजी कौम पुरोहित साकिन माण्डल के नाम का जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए ग्राम पंचायत प्रश्नगत आराजी का अन्य किसी व्यक्ति के नाम पट्टा जारी नहीं कर सकती है। जबकि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 52 की आराजी पर जारी किया है। जो विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। विकास अधिकारी रानी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.12.2011 में यह उल्लेखित किया है कि जैर निगरानी पट्टा बाद में जारी किया हुआ पट्टा है जो नियमों के विरूद्ध है। जो जैर निगरानी पट्टे को पूर्व में जारी पट्टे पर जारी किया जाना सिद्ध करता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सम्पादित इकरारनामे की प्रति पत्रावली संलग्न है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जैर निगरानी मकान मूलसिंह पुत्र प्रभुसिंह से एक लाख पच्चीस हजार रूपये में क्रय किये जाने का उल्लेख है। इससे भी यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी मकान अप्रार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी मकान नहीं था। जिसका पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत 200/– रूपये में जारी किया गया। ऐसी स्थिति में भी जैर निगरानी पट्टे के यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं। ग्राम पंचायत की मिसल में जो बयान कलमबद्ध किए गए है उनमें दोनों बयान किसके लिए हुए है। उस व्यक्ति का नाम, वल्दीयत, पता

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः::3

अंकित नहीं है। आबादी भूमी के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस कहां चस्पा किया गया है एवं किस तारीख को चस्पा किया गया है, यह भी अंकित नहीं है तथा न ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 04/2009–2010 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2009 तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.08.2009 एवं इनकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 04.12.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत माण्डल का रेकर्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली